न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक

(रजनी मीणा आर.ए.एस.उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

प्रा0पत्र संख्या :– 17 / 2020
निर्णय दिनांकः– 17.08.2020

कन्धा पत्नि स्व. मोतीलाल जाति बैरवा निवासी ढिकोलिया तहसील उनियारा

प्रार्थीया

बनाम

1. छोटू पुत्र बंशीलाल जाति खटीक निवासी ढिकोलिया तहसील उनियारा जिला टोंक
2. प्रहलाद पुत्र बजंरग लाल जाति बैरवा निवासी ढिकोलिया तहसील उनियारा जिला टोंक
3. जहुर मोहम्मद पुत्र नसीर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी ढिकोलिया तहसील उनियारा जिला टोंक
4. पृथ्वीराज पुत्र केसरलाल जाति नाई निवासी ढिकोलिया तहसील उनियारा जिला टोंक
5. भंवरी पुत्री रामकरण जाति बैरवा निवासी ढिकोलिया तहसील उनियारा जिला टोंक
6. रामअवतार पुत्र रामकरण जाति बैरवा निवासी ढिकोलिया तहसील उनियारा जिला टोंक
7. रामबिलास पुत्र रामकरण जाति बैरवा निवासी ढिकोलिया तहसील उनियारा जिला टोंक
8. पुष्पादेवी पत्नि हरिराम जाति बैरवा निवासी ढिकोलिया तहसील उनियारा जिला टोंक
9. संतरा पुत्री सोहनलाल जाति नट निवासी ढिकोलिया तहसील उनियारा जिला टोंक
10. सलीम मोहम्मद पुत्र नसीर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी ढिकोलिया तहसील उनियारा जिला टोंक
11. रमेश पुत्र बद्रीलाल जाति नाई निवासी ढिकोलिया तहसील उनियारा जिला टोंक
12. प्रहलाद पुत्र रामेश्वर जाति ब्रहाम्ण निवासी ढिकोलिया तहसील उनियारा जिला टोंक
13. राजेश पुत्र गोपाल जाति जैन निवासी ढिकोलिया तहसील उनियारा जिला टोंक
14. कृष्णमुरारी पुत्र गोविंदा जाति मीना निवासी ढिकोलिया तहसील उनियारा जिला टोंक
15. मोती पुत्र गोपी जाति खटीक निवासी ढिकोलिया तहसील उनियारा जिला टोंक
16. तसहीलदार उनियारा टोंक

प्रतिपक्षीगण

दावा बाबत तकासमा आराजी व स्थायी निषेधाज्ञा
प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी

उपस्थितः श्री मुजम्मिल सारन वकील प्रार्थीया
श्री प्रेम चंद जैन वकील अप्रार्थीगण

निर्णय

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः–

प्रार्थीया एवं प्रतिपक्षी न. 1 ता 10 के सयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खता संख्या 108 ख0न0 216 रकबा 0.19 है0 गै.मु. आबादी वाके ग्राम ढिकोलिया तहसील उनियारा मे स्थित है। जिसमें प्रार्थीया का 1/6 हिस्सा निहित है। प्रार्थीया एवं प्रतिपक्षीगण न 1 ता 10 ने अपने अपने हिस्से का मोखिक विभाजन करवा रख है तथा अपने अपने पर बतौरे मालिक व स्वामी काबिज चले आ रहें है। प्रार्थीया गरीब, विधवा महिला है। जिसका नाजायज फायदा उठाते हुए प्रतिपक्षीगण न. 1 ता 10 ने अवैध रूप से बिना वादग्रस्त आराजी का विधिवत् विभाजन हुए प्रतिपक्षीगण न. 11 ता 15 को अवैध रूप से भूखण्ड काटकर विग्रय कर दिये है तथा जबरन प्रार्थीया के हिस्से 1/6 पर भी कब्जा करने पर आमादा है, जिसका उन्हे कोई हक व अधिकार नही है। प्रतिपक्षीगण द्वारा अवैध गिरोह बनाकर जबरन प्रार्थीया के हिस्से की भुमि मे प्रवेश कर जबरन कब्जा करने की धमकी दिये जाने से उक्त वाद व प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ।

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

यह कि प्रार्थीया की अधियाचना है कि प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावें कि वादग्रस्त खाता संख्या 108 ख0न0 216 रकबा 0.19 है0 गै.मु. आबादी वाके ग्राम ढिकोलिया तहसील उनियारा में प्रार्थीया के कब्जे हिस्से 1/6 मे किसी प्रकार मजाहेमत व मदाखलत ही करे, ना कब्जा करने का प्रसास करे, ना ही भुमि का बिना विधिवत् विभाजन हुए रहन, बेचान, ना तो स्वयं और न जरियें ऐजेंट, नोकर, पारिवारिक या प्रधिकृत व्यक्तियों द्वारा ही करावे एवं प्रतिपक्षी न0 16 ता फैसला वाद मोका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर का प्रतिपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रतिवादी न 4,8,9,11 द्वारा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि तात्कालिन स्व. बजरंगलाल पुत्र मांगीलाल जाति बैरवा निवासी ढिकोलिया के हिस्से मे आने से स्व. बजरंगलाल द्वारा तात्कालिन सहखातेदारों की सहमति से उक्त भूमि पर 30–35 वर्ष पूर्व ही आवासीय भूखण्ड काटते हुए विकय कर मौके पर कब्जा सुपुर्द कर दिया था केताओं ने भी उसी सामय मौके पर पुखता निमार्ण कर अपने परिवार सहित आज से 30–35 वर्षो से रहते चले आ रहें है। उक्त भूमि आबादी मे परिवर्तन होन से ख0न0 216 का पृथक से खाता बनाकर अंकन कर दिया गया । उचित न्याय निर्णय हेतु सम्पुर्ण आराजी के तकास्मे का वाद प्रस्तुत करना चाहिए था। पत्रावली सं. 3/2019 दिनांक 13.03.1995 का ही कृषि भूमि से अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन सक्षम अधिकारी से नियमानुसार करवा लिया था।

वादीया वकील ने प्रार्थना पत्र 7 नियम 11 सीपीसी का जवाब पेश किया कि आराजी ख0न0 216 रकबा 0.19 है0 वाके ग्राम ढिकोलिया गे.मु. आबादी मे अंकित होना व आबादी मे दर्ज है, जिसमें राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 151 के अनुसार गे0मु0 नाला व गै0 मु0 आबादी भूमि को आबादी भूमि नही माना जावेगा और ना ही वह आबादी भूमि मे दर्ज होगी, बल्की वह कृषि भूमि ही मानी जावेगी और संबंधित प्रकरण की सुनवाई का अधिकार राजस्व न्यायालय को ही प्राप्त हैं

वादी व प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी तथा प्रस्तुत दस्तावेजों, तथ्यों का अवलोकन एवं मनन किया गया । प्रस्तुत अभिलेखों से यह प्रमाणित होता है कि उक्त आराजी का अकृषि प्रयोजनार्थ आवासीय संपरिवर्तन 13.03.1995 को करवाया गया । संपरिवर्तन के बाद भूमि गैर मुमकिन आबादी दर्ज रिकार्ड है। जिसकी श्रवाधिकार सिविल न्यायालय को हैं साथ ही प्रतिवादी न0 8 ने सीपीसी 07 रूल 11 के प्रार्थना पत्र मे पृथक से यह स्वीकार किया कि मौके पर प्रार्थिया (प्रतिवादी न0 8) की 4 दुकाने व 2 कमरे बने हुए जो आवासीय संपरिवर्तन के शर्तो के बाहर है। तहसीलदार उनियारा को यह आदेश दिया जाता है कि वह उकत संपरिवर्तन आदेश की शर्तो की पालना संपरिवर्तन शर्तो के अनुरूप नही होने पर नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें ।

गैर मुमकिन आबादी का प्रकरण राजस्व न्यायालय के क्षैत्राधिकार से बाहर होने के कारण मूल वाद न्याय की भावना तथा वादिया के हितों की सुरक्षा के लिए माननीय न्यायालय अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश उनियारा को हस्तानान्तरित किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र नियम 07 आदेश 11 सीपीसी को स्वीकार करते हुए मूल वाद पत्र खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसलसुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 17.08.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(रजनी मीणा)
उपखण्ड अधिकारी उनियारा